कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री सनसाइन फ्लेवर्स नूरपुर इण्ड0 एरिया ,चॉदपुर ,बिजनोर

प्रा0प0सं0:- 348 /2008

प्रार्थी की ओर से श्री अरुणेश बाजपेई,एडवोकेट ।

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19-08-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें माऊथ फेशनर पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री अरुणेश बाजपेई ,एडवोकेट उपस्थित हुए बताया कि मीठा मिक्सचर की खरीद पंजाब तथा दिल्ली से करते है । प्रान्त बाहर से आयत किए गए मीठा मिक्सचर को चार चार ग्राम के पाऊच मे पैक करके टोजो टैंगी माऊथ फे शनर के नाम से इसकी बिक्री की जाती है । इसमे खजूर,सौंफ,खरबूजा व धनिया के बीज,इलायची दाना,केसर,गरी ,मिश्री व हर्ब्स का मिश्रण होता है। इसमे मिश्री खरबूजा व धनिया के बीज करमुक्त है, व शेष पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है अत: माऊथ फेशनर उक्त वस्तुओ का मिश्रण होने के कारण इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

3- मैने धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया । माऊथ फेशनर शिडयूल-1,2,3,व 4 मे वर्गीकृत न होने के कारण शिडयूल-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है ।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

ह0 18-9-2008

दिनांक::सितम्बर 18 2008

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

प्रमाणित प्रतिलिपि